भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4086

उत्तर देने की तारीख : 30.03.2026

उद्यम योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट कार्ड

4086. श्री नीरज शेखर :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए उद्यम में पंजीकृत 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों को पहले वर्ष में 5 लाख रुपए के अनुकूलित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित वर्गीकरण मानदंडों और नई क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित होने वाले अतिरिक्त एमएसएमई, विशेष रूप से महिला स्वामित्व वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाले और ग्रामीण उद्यम, की अपेक्षित संख्या कितनी है और 2026-27 में इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : केंद्रीय बजट 2025-26 में उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों, जिनमें महिला स्वामित्व वाले, एससी/एसटी स्वामित्व वाले और ग्रामीण उद्यम शामिल हैं, के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा के समायोजित क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। स्कीम के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस बजट घोषणा को कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है और भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के परामर्श से मॉडल स्कीम विकसित की जा रही है।
